हुक्मतारीख	हुक्म याकार्यवाहीअजइजिशियल्सजज अमरा बनाम हीरा

14/5/024

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा वांक पटवार हल्का सरवाणा तह–साचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा आई हुई थी, केहरा उर्फ केसरा के फौत होने पर उसके पांचो जायेदा पुत्र वाला, हीरा,वना,करमसी, प्रेमा को उतराधिकारी प्राप्त हुई। केहरा उर्फ केसरा के फौत होने पर विवादित आराजी में उसके कानूनी वारिसान वाला, हीरा,वना,करमसी, प्रेमा का बराबर–बराबर हक हिस्सा सम्पति प्रत्येक पुत्र के 1/5,1/5 हक हिस्सा उत्ताराधिकार में प्राप्त हुआ। विवादित आराजी में द्वितिय सेटलमेंन्ट में नवीन खसरा नम्बर 146 रकबा 3.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 1.90 हैक्टयर नम्बर 150 रकबा 0. 92 हैक्टयर खसरा नम्बर 210 रकबा 0.40 हैक्टयर सृजित हुए। कुल रकबा 8.59 हैक्टयर में केहरा उर्फ केसरा के कानूनी वारिसान वाला, हीरा,वना,करमसी, प्रेमा के प्रत्येक हिस्से में 1/5–1/5 भूमि अर्थात 1.718 हैक्टयर हिस्से में आती है। परन्तु प्रार्थीगण को उपरोक्त पैतृक भूमि में उनके हक हिस्से में आई भूमि से वंचित करने के आशय से गलत रूप से बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में कर दिया जबकि केहरा के फौत होने पर कानूनी वारिसान को 1/5–1/5 हिस्सा, रकबा 1.718 हैक्टयर भूमि उतराधिकार में प्राप्त हुई थी। अप्रार्थीगण द्वारा असमान बंटवाड़ा कर प्रार्थीगण को पैतृक भूमि के उतराधिकारी होने से वंचित दिया, जबकि प्रार्थीगण कानूनी उतराधिकारी होने से पैतृक भूमि में बराबर बराबर हिस्सा में हक राते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण अपने नाम गलत खातेदारी को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देगें वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीगण को डण्डे के बल से बेदखल कर देगें ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण भी मौजा वांक व दांतिया में संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। जबकि प्रार्थीगण ने मौजा दांतिया की खातेदारी जमीन का ही जिक्र किया है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से मौजा दांतिया व वांक में स्थित संयुक्त खातेदारी का परिवारिक भाईयों बंटवाड़ा कर मौके पर अपने अपने हिस्से अलग कर कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया था, मौजा वांक व दांतिया में स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी में सहमति से बंटवाड़ा किया था जिसमें मौजा वांक में स्थित जमीन प्रार्थीगण के बंट में आई होने से कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है तथा मौजा दांतिया में सिथत आराजी में से अप्रार्थीगण [illegible] बंट में आई होने से कब्जा काश्त बंटवाड़े की तारीख से शांतिपूर्वक चला आ[illegible]र्थीगण व अप्रार्थीगण के अलग–अलग कब्जा का[illegible] [illegible]र्थीगण के पक्ष में न [illegible] पक्ष में है तो केस मेड आउट होता है न सुविधा का [illegible] प्रार्थीगण की आई हुई है प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जा काश्त व खातेदा[illegible] नही[illegible]ती है अतः प्रार्थीगण का जिससे अप्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही[illegible]ती है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा वांक पटवार हल्का सरवाणा तह—साचौर के नवीन खेत खसरा नम्बर 146 रकबा 3.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 1.90 हैक्टयर नम्बर 150 रकबा 0.92 हैक्टयर खसरा नम्बर 210 रकबा 0.40 हैक्टयर पर अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner